



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2017/ 723

दिनांक : 10-11-17

--: अधिसूचना --:

आदेशानुसार अधिसूचित किया जाता है कि, अध्यादेश क्रमांक 90(नवीन) के अन्तर्गत पीएच.डी. पाठ्यक्रम में पंजीकृत समस्त शोधार्थियों को उनकी पंजीयन तिथि से शोध कार्य करने की शोधावधि में वृद्धि हेतु अध्यादेश क्रमांक 90(नवीन) की कंडिका 20(a)के अन्तर्गत दिये गये प्रावधान निम्नानुसार है :-


"The candidate Shall pursue his research at the approved place of research under the Supervisor/Co-Supervisor on the Approved subject. The candidate shall be permitted to submit his/her thesis not earlier than 24 months and not later than four calendar years, from the date of registration. In case a candidate does not submit his/her thesis within four calendar years, from the date of registration and does not apply for extension in time, his/her registration shall stand automatically cancelled.

Provided that the period for submission of thesis can be extended by one year by the Kulpati if he/she applies for extension at least one month before the expiry of registration period together with a prescribed fee. In case the candidate Does not Submit his/Her Thesis within the extended period his/her registration stand automatically cancelled.

Provided also that Kulpati may permit a Candidate to get registered on the same topic on payment of re-registration fee the minimum period of 24 months and attendance shall not apply to such reregistered candidates."

अतः अध्यादेश क्रमांक 90(नवीन) के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त शोधार्थी उपरोक्त प्रावधानानुसार शोधावधि में वृद्धि हेतु अपना आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करावे। उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं करने की स्थिति में शोधार्थियों को होने वाली अयुविधा के लिये शोधार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

क्रमांक/अकादमिक/पीएच.डी.पंजी./2016/ 724

दिनांक : 10-11-17

प्रतिलिपि :-

01. समस्त विभागाध्यक्ष/प्राचार्य, अध्ययनशाला/शासकीय महाविद्यालय, (शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त) शोध केन्द्र, विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र उपरोक्त निर्णयों के परिपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सूचनार्थ।
02. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से निवेदन है कि, उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
03. समन्वयक ऑनलाईन सेंटर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
04. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी.सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
05. उप/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
06. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


उपकुलसचिव(अकादमिक)